तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री खेमसिंह जोधा ग्राम पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी जोधपुर 342802 **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रोहट प्रथम सूचना अपील संख्या :– 14/2026 जीसीएमएस नं. :– 2026/21 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2026	1. पत्रावली आज पेश हुई। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रोहट से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रोहट द्वारा अपील का जवाब पेश नहीं किया गया है। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रोहट के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रोहट को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 30 दिवस में निस्तारण करे। 6. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रोहट को पाबन्द किया जाता है कि वे भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी नोटिस का जवाब समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा नियमित पैरवी करना सुनिश्चित करावे। इस संबंध में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जावेगी। 7. निर्णय आज दिनांक **10.03.2026** को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। **(एल.एन. मंत्री)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	